

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी, जिला बड़वानी मध्य प्रदेश:

क्रमांक /स्टेनो /2023

बड़वानी, दिनांक 03 / 11 / 2023

-: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश :-

आपराधिक प्रकरणों में आवश्यक कार्य, रिमाण्ड हेतु कार्य सुविधा की दृष्टि से तहसील व जिला बड़वानी मध्य प्रदेश की न्यायिक पदस्थापना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण माह **नवम्बर एवं दिसम्बर-2023** में निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी उनकी परस्पर सहमति से निम्नानुसार लगाई गई है। वह नियत दिनांक को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य सूची में दर्शित अनुसार रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे :—

क्र	न्यायिक दण्डाधिकारी का नाम व पदस्थापना	माह नवम्बर-2023	माह दिसम्बर-2023
01	श्री विनय जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़वानी, जिला बड़वानी	समस्त अवकाश दिवस	समस्त अवकाश दिवस
02	श्री पंकज सविता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़, जिला बड़वानी	10, 11, 12, 13, 14 15, 18	10, 24, 25
03	श्री नीरज कुमार सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़, जिला बड़वानी	5, 19, 26, 27	3, 16, 17, 31
04	सुश्री स्मृति पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर, जिला बड़वानी	समस्त अवकाश दिवस	समस्त अवकाश दिवस
05	श्री संजोगसिंह वाघेला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेंधवा, जिला बड़वानी	5, 19, 26, 27	3, 10, 24, 25
06	सुश्री नगीना मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेंधवा, जिला बड़वानी	10, 11, 12, 13, 14, 15, 18	16, 17, 31
07	श्री अजय उड़के, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खेतिया, जिला बड़वानी	समस्त अवकाश दिवस	समस्त अवकाश दिवस

टीप :-

01	उक्त दिनांकों पर रिमाण्ड ड्यूटी की जाना निर्धारित है, किन्तु निर्धारित रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को यदि अति आवश्यक परिस्थितिवश अपरिहार्य कारण से अवकाश पर जाना आवश्यक हो, तो संबंधित न्यायिक पदस्थापना पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से तथा जिस न्यायिक पदस्थापना में एक ही न्यायिक मजिस्ट्रेट पदस्थ हों, वे उनका कार्य देखने वाले अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से आपसी सामंजस्य स्थापित कर, उनके स्थान पर, अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जाएगी, इस आशय का अवकाश आवेदन नियत दिनांक के पूर्व सहमति सहित हस्ताक्षरित कराया जाकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर अवगत करायेंगे एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त होने पर ही मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।
02	बड़वानी / अंजड़ / सेंधवा / राजपुर / खेतिया में किसी कारणवश अवकाश घोषित होने पर मुख्यालय में पदस्थ कनिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जाएगी।
03	यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बड़वानी मुख्यालय एवं तहसीलों में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश / मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में उक्त ड्यूटी का क्रम आपराधिक कार्य विभाजन आदेशानुसार संबंधित मजिस्ट्रेट के पास रहेगा।
04	किसी भी प्रकार का अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति अवकाश या सार्वजनिक अवकाश की अवधि में लिया जाता है, तो आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें कि उस अवधि में रिमाण्ड ड्यूटी नहीं है।
05	शीतकालीन अवकाश के दौरान अथवा अन्यथा अवकाश के दिन जिस मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है, उक्त मजिस्ट्रेट के शीतकालीन अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा अवकाश पर रहने की दशा में उक्त मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार प्रभारी मजिस्ट्रेट के भी अवकाश पर रहने की दशा में प्रभार सूची 'ए' अनुसार रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जाएगी। किसी प्रकार का मजिस्ट्रेट को रिमाण्ड ड्यूटी के संबंध में आसामजस्य होने की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से तत्काल दूरभाष पर मार्गदर्शन लिया जाए।

(श्रीमती सीता कनोजे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बड़वानी, जिला बड़वानी, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक / स्टेनो / 2023

बड़वानी, दिनांक 03 / 11 / 2023

प्रतिलिपि -

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बड़वानी की ओर सादर सूचनार्थ.
- श्री विनय जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़वानी,
- श्री पंकज सविता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़,
- श्री नीरज कृमार सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़
- सुश्री स्मृति पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर,
- श्री संजोगसिंह वाघेला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेंधवा,
- सुश्री नगीना मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेंधवा,
- श्री अजय उड़के, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खेतिया
- पुलिस अधीक्षक, जिला बड़वानी, जिला बड़वानी मध्य प्रदेश
- जिला अभियोजन अधिकारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ / राजपुर / सेंधवा / खेतिया जिला बड़वानी
- प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला बड़वानी की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं योग्य कार्यवाही हेतु।

(श्रीमती सीता कनोजे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बड़वानी, जिला बड़वानी, म.प्र.